कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

पत्रांक 1850 /1–12(6) देहरादून दिनांक, 21 अप्रैल , 2022.

आदेश

इस कार्यालय की पत्र संख्या 416 / 1–12(6) दिनांक 07.09.2019 द्वारा वन आरक्षी से वन दरोगा के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की गई थी। पदोन्नति समिति की तृतीय बैठक दिनांक 20.02.2020 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा क्रम संख्या 351 पर अंकित श्री हेम राज पटियाल, वन आरक्षी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में प्रकरण होने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति पर निर्णय लिफाफे में बन्द किया गया था।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2022 द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में धारा–7 एवं 13(1)(डी0) सपठित धारा–13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से श्री हेम राज पटियाल, वन आरक्षी को दोष मुक्त कर दिया गया है। **श्री हेमराज पटियाल, वन आरक्षी** का सीलड बन्द लिफाफा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के सापेक्ष खोला गया तथा लिफाफे के अन्दर रक्षित चयन समिति के निर्णय एवं शासनादेश संख्या 1595 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 13.05.2003 के क्रमांक (7)(क) के अनुसार उनकी **वन आरक्षी** (वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–3 रू0 21,700–69,100) से **वन दरोगा** (वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 रू0 29,200–92,300) में उनसे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की दिनांक 20.02.2020 में काल्पनिक रूप से तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप में पदोन्नति की जाती है।

क्र.सं.	वन आरक्षी की दिनांक 01.07.2021 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	02	श्री हेम राज पटियाल	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

न्यायायल विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) / प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल के निर्णय तिथि 26.03.2022 के विरूद्ध यदि भविष्य में किसी प्रकार की अपील योजित की जाती है तो यह पदोन्नति माननीय न्यायालय के अपील पर निर्णय के अधीन रहेगें।

उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में तैनाती वन प्रभाग / कार्यालय में ही अपना योगदान तत्काल देना सुनिश्चित करें। कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

21.4.2022

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

क्रमशः

पत्रांक : 1850 /1–12(6) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. आदेश में अंकित सम्बन्धित कार्यालय/प्रभाग।
6. आदेश में अंकित सम्बन्धित कार्मिक।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।
8. आई0टी0 प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.4.22

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

I.T.C.e
कृ. अपलोड करें
पेश करें
ccf 21/4